न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :–185/16 दायरा दिनांक 29.12.2016
आर.सी.एम.एस. नम्बर 2016/00159

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

नाथू पुत्र गुटई मोहनस्वरूप जाति किराड़ निवासी पीपलखेड़ी तहसील शाहबाद जिला बारां। – **अपीलाण्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक, बारां जिला बारां राज.। –रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री विपिन कुमार बंसल, अभिभाषक अपीलान्ट।

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 18.12.2015 न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बारां बउनवान सरकार बनाम नाथू पुत्र गुटई किराड़ निवासी पीपलखेडी तहसील शाहबाद जिला बारां राज. प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल. आल.आर.एक्ट 1956 प्रकरण संख्या 1358/2015

निर्णय दिनांक 29.08.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 18.12.2015 को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायायल सहायक वन संरक्षक, बारां ने क्षेत्रिय वन अधिकारी केलवाडा की मिथ्या रिपोर्ट पर अपीलान्ट को पठा की आराजी ख.नं. 29 की रकबा 20.00 वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर दो माह के सविल कारावास एवं अलस लगान 40/– रूपये का 50 गुणा से तावान राशि 2000/– रू. एवं 10,000/–रू. फसल कीमत के अर्थदण्ड से दण्डित कर नियम एवं कानून का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र क्षेत्रिय वन अधिकारी की मिथ्या रिपोर्ट पर भरोसा किया है उक्त भूमि की मौके की कब्जे बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जॉच नहीं की। क्षेत्रिय वन अधिकारी ने अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा न होते हुये भी अपीलान्ट को उक्त भूमि का पश्चातवर्ती अतिचारी घोषित कर नियमों का स्पष्ट उल्लघन किया है इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। निर्णय के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस की कोई तामील नहीं कराई न की अपीलान्ट को जबाव पेश करने का कोई मौका ही दिया, अपीलान्ट के खिलाफ उक्त निर्णय एकपक्षीय देकर अपीलान्ट के साथ अन्याय किया है, अपीलान्ट का उक्त कृषि भेमि खसरा नं. 29 ग्राम पठा को कोई कब्जा नहीं है। इस कारण भी उक्त निर्णय काबिल खारिजी है।' अपीलान्ट ने वर्ष 2014 में उक्त भूमि पर फसल काश्त की थी, कि तभी अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से बेदखल कर दिया गया था, तब से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, न ही फसल काश्त की है। इसके बाबजूद भी अपीलान्ट

को मिथ्या के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त सजायाब आदेश की पालना में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 20.12.2016 को पुलिस अपीलान्ट के घर पहुंची और अपीलान्ट के परिजनों को बताया, जब अपीलान्ट घर पर आया और परिजनों ने अपीलान्ट को बताया तब अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि दिनांक 21.12.2016 को अपीलान्ट ने उक्त सजायाब आदेश की नकल प्राप्ति हेतु अधीनस्थ न्यायालय पहुंच आवेदन कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय से तैयार नकल मियाद प्रस्तुत है, पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा फरमाई जाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी के सबूत हेतु पूर्व निणर्य की प्रति सम्मिलित नहीं की है। नोटिस दिनांक 11.12.2015 के लिए जारी हुआ। अपीलान्ट पेश हुआ सुनवाई नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 6 दिन बाद दिनांक 18.12.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तलवी नोटिस में कटिंग की गई है। पंचनामा आदि कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। वेदखली की रिपोर्ट किस तिथि का है पता नहीं व गवाहों के बयान भी नहीं है, मेरा कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है प्रार्थी 80 वर्ष का बुजुर्ग है। अतः सजा माफ की जाये।

पत्रावली के अवलोकन व बहस सुनने पर पाया गया कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी पर उसका अतिक्रमण नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि मौके की पुनः जांच कराई जावे सत्यापन में यदि अपीलान्ट मौके पर अतिक्रमण नहीं पाया जावे तथा अपीलान्ट भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत कर दे तो सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। यदि जांच में मौके पर अतिक्रमण होना पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 12:57:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: